"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014—फाल्गुन 9, शक 1935

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पद्मा तिवारी पति श्री सुभाष तिवारी, आयु 41 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-7ए, सड़क नं. 7, सेक्टर 10, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 9-6-1997 को श्री सुभाष तिवारी आ. स्व. रामेश्वर प्रसाद तिवारी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाद पूर्व मेरा नाम जे. व्ही. पद्मवती पिता श्री जे. व्ही. आर. राव था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती पद्मा तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती पद्मा तिवारी पति श्री सुभाष तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| जे. व्ही. पद्मवती<br>पिता-श्री जे. व्ही. आर. राव<br>निवासी-क्वा. नं. 7 ए, सड़क नं. 7, सेक्टर-10<br>भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) | श्रीमती पद्मा तिवारी<br>पति-श्री सुभाष तिवारी<br>निवासी-क्वा. नं. 7 ए, सड़क नं. 7, सेक्टर-10<br>भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भानु सत्यम् पिता श्री रामदास, उम्र 37 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 46, चन्द्रनगर उमरपोटी भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भानु प्रसाद दर्ज है तथा मेरे ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भानु सत्यम् दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम भानु सत्यम् रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे भानु सत्यम् पिता श्री रामदास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

भानु प्रसाद
पिता-श्री रामदास
निवासी-प्लाट नं. 46, चन्द्रनगर, उमरपोटी
भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

भानु सत्यम्
पिता-श्री रामदास
निवासी-प्लाट नं. 46, चन्द्रनगर, उमरपोटी
भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बबलू चक्रवर्ती आत्मज श्री प्रवीण कुमार चक्रवर्ती निवासी-प्लाट नं. 01/09, शास्त्री नगर, जी.ई. रोड भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं पूर्व में बबलू के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम के साथ सरनेम चक्रवर्ती जोड़कर अपना नया नाम बबलू चक्रवर्ती रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे बबलू चक्रवर्ती आत्मज श्री प्रवीण कुमार चक्रवर्ती के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

बबलू
(BABLOO)
आत्मज-श्री प्रवीण कुमार चक्रवर्ती
निवासी-प्लाट नं. 01/09, शास्त्री नगर, जी.ई.रोड
भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

बबलू चक्रवर्ती
(BABLOO CHAKRABORTY)
आत्मज-श्री प्रवीण कुमार चक्रवर्ती
निवासी-प्लाट नं. 01/09, शास्त्री नगर, जी.ई.रोड
भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमित कुमार पिता श्री होलसाय वर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी एल.आई.जी. 1/606, इंडस्ट्रीयल स्टेट हाउसिंग बोर्ड भिलाई थाना जामुल भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अमित कुमार पिता श्री होलसाय वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम वर्मा जोड़कर अपना नया नाम अमित कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अमित कुमार वर्मा पिता श्री होलसाय वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

अमित कुमार
पिता-श्री होलसाय वर्मा
निवासी-LIG-1/606, औद्योगिक क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड
भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

अमित कुमार वर्मा
पिता-श्री होलसाय वर्मा
निवासी-LIG-1/606, औद्योगिक क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड
भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजीवनी डोंगरे पति श्री उत्तम कुमार डोंगरे, आयु 33 वर्ष, जाति महार, निवासी बुद्ध विहार चौक, महाराणा प्रताप भवन मार्ग, गली नं. 2, मकान नं. 171, शंकर नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं अपनी उपनाम डोंगरे को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती संजीवनी बौद्ध रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती संजीवनी बौद्ध पति श्री उत्तम कुमार बौद्ध के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती संजीवनी डोंगरे
पति-श्री उत्तम कुमार बौद्ध
निवासी-बुद्ध विहार चौक, महाराणा प्रताप भवन, गली नं. 2
मकान नं. 171, शंकर नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग.

**नया नाम**

श्रीमती संजीवनी बौद्ध
पति-श्री उत्तम कुमार बौद्ध
निवासी-बुद्ध विहार चौक, महाराणा प्रताप भवन, गली नं. 2
मकान नं. 171, शंकर नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग.

---

# विविध

## निविदा सूचनाएं

G. B. 4 Machine purchase (2) Hand Numbering/08-14/176 Raipur, Date 18-2-2014

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for the purchase of Hand Numbering machine, the details and quantity of numbering machines are given below

| S. No. | Name of machine | Description | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1. | Original “MAX” Hand Numbering machine | 7 Digit ROMAN Engaving 4.5 m. m. and 5 action steel body. | 55 No. |
| 2. | Original “MAX” Hand Numbering machine | 6 Digit ROMAN Engaving 4.5 m. m. and 7 action steel body. | 10 No. |

Tender must be reach in this office with sample of Numbering machine with brousher on up to 11-03-14 at 3 pm. Tender will be opened on the same day at 4 pm. in presence of Tenderer’s and their authorised representatives. Tenderer will have to submit tender deposit of Rs. 10,000 in shape of F. D. R./D. D. of Nationalised bank in favour of Director, Govt. Printing & Stationery C. G. Raipur. Tender submitted without earnest money will not be considered.

**Terms of the Tender**

1. Tenderer will have to submitt one original “MAX” Hand Numbering machine as sample along with tender.
2. Rates of the numbering machine should be quoted clearly for destination at Govt. press Raipur/Rajnandgaon.
3. C. S. T. and Vat charged should be mentioned seperately.
4. Income Tax/Vat/C.S.T. clearance certificate of last year should be attached with tender.
5. The successful tenderer will have to execute an agreement and submit the security deposit of 5% cost of numbering machine’s. It will be extra than tender deposit.
6. Payment of machine supplied will be made only when machines are found in good and working condition.

7. Tenderer will have to supply within prescribed period mentioned in supply order.
8. If tenderers failed to supply the said machine the earnest money and security deposit will be forfitted.
9. No counter terms will be accepted.
10. Director is not bound to accept lowest rates. Orders can be divided between two or more tenderers.
11. Director can relax any term and condition of this tender partly of wholly in the financial interest of Government.

C. K. UIKEY
Director
Govt. Printing & Stationary
Chhattisgarh Raipur.

---

# न्यायालयों की सूचनाएं

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास डौण्डीलोहारा, जिला बालोद

डौण्डीलोहारा, दिनांक 22 जनवरी 2014

प्रारूप-चार
[ नियम 5 (1) देखिये ]

[ छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 को नियम 5 (1) के द्वारा ]

**पंजीयक लोक न्यास डौण्डीलोहारा जिला बालोद के समक्ष**

क्रमांक/1890/प्र.-1/अ.वि.अ./2014.—यह कि श्रीकांत गोलछा आ. स्व. मूलचंद गोलछा उम्र लगभग 49 वर्ष न्यू मार्केट मेन रोड दल्लीराजहरा तहसील डौण्डी जिला बालोद प्रधान ट्रस्टी (समरथ भवन ट्रस्ट दल्लीराजहरा) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28-02-2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | ट्रस्ट का नाम व पता | : | समरथ भवन ट्रस्ट दल्लीराजहरा |
| (2) | चल संपत्ति | : | 11001.00 रुपये |
| (3) | अचल संपत्ति | : | निरंक |

**रोक्तीमा यादव**
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.